



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43548 वर्ष 2025

अक्षय कुमार चौहान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आकाश तोमर

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, राज्य की ओर से विद्वान ए.शा.अधि. श्री सुनील कुमार को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 341 वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 3(5) भा.न्या.स. तथा धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना कैराना, जिला शामली में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसका नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में पहली बार आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 10.9.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने



को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान ए.शा.अधि. ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया, परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खण्डन नहीं किया जा सका।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, तथा मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।
8. आवेदक **अक्षय कुमार चौहान**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाएगा/डराएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी 2026

शालिनी